

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2494 / एक-15-1 / 96

शिवपुरी, दिनांक 02/06 / 2025

प्रतिलिपि यथाआदेश :-

श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 531 दिनांक 30.06.2025 से प्राप्त माह जुलाई-2025 एवं अगस्त-2025 हेतु "आंशिक संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश" माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(19) शिवपुरी, म0प्र0।

न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

कमांक- 331

शिवपुरी दिनांक- 30.06.2025

--: आंशिक संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जुलाई-अगस्त 2025 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में तहसील कोलारस में श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस का दिनांक 19.07.2025 एवं 20.07.2025 को मीडियेशन प्रशिक्षण होने से तहसील कोलारस की रिमाण्ड ड्यूटी में आंशिक संशोधन कर रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ :-

01-	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	19-07-2025 20-07-2025
02-	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	05-07-2025 06-07-2025

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpur (M.P.)

प्राची शर्मा
(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.